

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(07) राज/वाद/24
समस्त विशिष्ट लोक अभियोजक
(पोक्सो न्यायालय) राज0।

दिनांक: 18/11/25

:: परिपत्र ::

विभाग के संज्ञान में आया है कि पोक्सो एक्ट से संबंधित गंभीर एवं जघन्य अपराध के प्रकरणों में जमानत प्रार्थना पत्रों/विचारण के विभिन्न स्तरों पर पीड़ित/शिकायतकर्ता को सम्यक तामील के अभाव में प्रकरण की अद्यतन जानकारी की सूचना नहीं हो पाती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के द्वारा एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-13921/2025 जयेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 में भी उक्त मत व्यक्त किया गया है।

उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर यह अपेक्षित है कि विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण में बालकों से संबंधित गंभीर एवं जघन्य अपराध के प्रकरणों में जमानत प्रार्थना पत्रों/विचारण के विभिन्न स्तरों पर पीड़ित/शिकायतकर्ता को सुनवाई नोटिसों की सम्यक तामील करवाई जाकर उपस्थिति सुनिश्चित करवाए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. पोक्सो एक्ट के प्रकरणों में संबंधित पीड़ित/शिकायतकर्ता को सुनवायी नोटिसों की व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. यदि उक्त प्रकरणों के पीड़ित/शिकायतकर्ता के मोबाईल नम्बर उपलब्ध हों, तो सुनवायी नोटिसों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. पीड़ित/शिकायतकर्ता की उपस्थिति निवारित करने का तथ्य संज्ञान में आने पर, उक्त स्थिति से सुनवायी और विचारण न्यायालय को अवगत कराया जाये और साक्षी संरक्षण योजना 2020 के प्रावधानों के अनुसार यथाआवश्यक कार्यवाही करायी जाए।
4. नियमानुसार तामील उपरांत उपस्थित पीड़ित/शिकायतकर्ता या साक्षी की बिना विलंब के विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

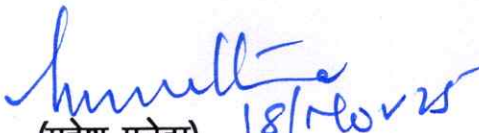
उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करायी जावे।

हो

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर/पीठ जयपुर।
5. एनालस्टि कम प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 18/Nov/25

शासन विशिष्ट सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग